

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI – 110001

सं०/No. 3-4(C)/2025(VY-26)-E- I

दिनांक/Date: 23.09.2026

कार्यालय ज्ञापन
OFFICE MEMORANDUM

विषय: रिक्ति वर्ष 2026 के लिए विभिन्न ग्रुप 'क' सामान्य संवर्ग पदों पर पदोन्नति के लिए पैनल में शामिल सामान्य संवर्ग अधिकारियों की पदोन्नति व पोस्टिंग के संबंध में।
Sub : Posting on Promotion of the CCOs Empanelled for Promotion to various Group 'A' Common Cadre Posts for the Vacancy Year 2026 - reg.

1. ट्रांसफर पोस्टिंग कमेटी (टीपीसी) की सिफारिशों पर, महानिदेशक, सीएसआईआर ने इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-3 (बी) / 2025(VY-26)-ई. / दिनांक 19.11.2025 के माध्यम से अधिसूचित पैनल से पदोन्नति पर निम्नलिखित सामान्य संवर्ग अधिकारियों की पोस्टिंग को स्वीकृति प्रदान की है :

On the recommendations of Transfer Posting Committee (TPC), the DG, CSIR is pleased to approve the posting of the following CCOs on their promotion from the panels notified vide this Office OM Number 3-3(b)/2025(VY-26)-E-I dated 19.11.2025, as per the details given in following paras:

2. वित्त एवं लेखा अधिकारी के पद से उप वित्तीय सलाहकार/नियंत्रक वित्त एवं लेखा के पद पर पदोन्नत होने वाले अधिकारी
Finance & Accounts Officer promoted as Deputy Financial Adviser/Controller of Finance & Accounts

Sl.	Name of the Officer	Present Place of Posting	Place of Posting on Promotion	Promotion to be effective on or after / Remarks	Remarks
1.	Sh. Shyam Sunder Singh	NIIST	NIIST	On or after 01.10.2026	---

3. पदोन्नत होने वाले अधिकारी पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परीक्षा अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

The promotee will be on probation for a period of one year from the date of taking over charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority.

4. पदोन्नत होने वाले अधिकारियों का वेतन निर्धारण सामान्य नियमों के तहत किया जाएगा। तथापि उनके पास एफ आर-22 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति की तिथि से अथवा वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प रहेगा। यह विकल्प पदोन्नति की तिथि से एक माह तक ही उपलब्ध रहेगा।

Pay of the above Officers will be fixed under the normal rules. However, they will have the option, to be exercised within one month from the date of taking over charge of the post, for fixation of pay in the new post with effect from the date of promotion to the new post or with effect from the date of increment in the lower post, in terms of the extant provisions of FR-22, under normal rules.

5. पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारी नए पदस्थापन स्थल पर तुरंत सिवाय उन मामलों के जहाँ पर कोई विशेष तिथि / शर्त इंगित की गयी है, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि/ विशेष तिथि / शर्त से एक माह के अंदर कार्यभार ग्रहण कर लें।



The promotee may join their promoted posts/new place of posting immediately except in the cases where specific date / conditions are mentioned as above but in any case within one month from the date of issue of this OM/specific date.

6. उपर्युक्त पदोन्नत अधिकारियों के स्थानांतरण यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण काल इत्यादि की पात्रता सीएसआईआर नियमों के अनुसार होगी।

The entitlements of Transfer TA, joining time etc. of the above promotee will be as per CSIR rules.

7. उपरोक्त सूचीबद्ध अधिकारियों में से किसी के खिलाफ पदोन्नत पद पर वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी परिस्थिति में, जैसे कि आरोप पत्र जारी करना, आपराधिक मामला लंबित होना और निलंबन उत्पन्न होता है, तो डीओपीटी का कार्यालय ज्ञापन OM No.22011/4/91-स्था. (ए) दिनांक 14.09.1992 के प्रावधानों के अंतर्गत उसकी डीपीसी सिफारिशों को सीलबंद कवर के तहत माना जाएगा।

In case of any of the circumstances i.e. issue of Charge sheet, pending of criminal case and suspension arises against any of the above empaneled officers before their actual joining the promoted post, his/her DPC recommendations shall be deemed to be under sealed cover as per DOPT OM No.22011/4/91-Estt. (A) dated 14.09.1992.

8. पदोन्नति पर यह नियुक्ति पूर्वोक्त सीएसआईआर ओएम संख्या 3-3(बी)/2025(VY-26)-ई.1 दिनांक 19.11.2025 में उल्लिखित विभिन्न नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

The appointment on promotion will be subject to various terms and conditions mentioned in aforesaid CSIR OM Number 3-3(b)/2025(VY-26)-E.1 dated 19.11.2025.

9. ज्वाइनिंग रिपोर्ट की एक प्रति ईमेल के माध्यम से ईमेल आईडी ccoe1.hqrs@csir.res.in पर तुरंत भेजी जा सकती है।

A copy of the joining report may be sent through email to email ID ccoe1.hqrs@csir.res.in immediately.

(सुनील कुमार / Sunil Kumar)
उप सचिव / Deputy Secretary

Copy to: -

1. सीएसआईआर के सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/ Directors of all CSIR Labs/Instts
2. प्रमुख- एचआरडीजी/एचआरडीसी/आईपीयू/ यूआरडीआईपी/टीकेडीएल
Heads –HRDG/HRDC/IPU/URDIP/TKDL
3. संबंधित अधिकारी /Officers concerned
4. कार्यालय, महानिदेशक, सीएसआईआर/ Office of DG, CSIR
5. कार्यालय, अपर सचिव/ वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर/ Office of AS&FA, CSIR
6. कार्यालय, संयुक्त सचिव(प्रशा.), सीएसआईआर/ Office of JS (Admn.), CSIR
7. कार्यालय, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर/ Office of CVO, CSIR
8. विधि सलाहकार/ LA, CSIR
9. वरि. उप सचिव (मानव संसाधन)/Sr. DS (HR)
10. उप सचिव (केंद्रीय कार्यालय) Sr.DS (CO)
11. ओ एंड एम एवं सतर्कता अनुभाग, परिषद मुख्यालय/ O&M and Vigilance Section, CSIR HQ
12. सीसीओ एसीआर सैल, परिषद मुख्यालय /CCO ACR Cell, CSIR HQ
13. संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फ़ाइलें /Personal files of the Officers concerned
14. आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करें। / IT Division - with the request to host this OM on CSIR website
15. गार्ड फ़ाइल Guard File/
16. कार्यालय प्रति/ Office copy